

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक, नागौर

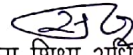
कार्यालय-आदेश

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा तृतीय वेतन श्रृंखला शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक भर्ती परीक्षा 2018 में सफल हुए अभ्यर्थियों को चयनोपरान्त नियुक्ति देने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये जाने के फलस्वरूप, संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के पत्रांक प.17(8)शिक्षा-2/2013/जयपुर दिनांक 15.11.2019 एवं श्रीमाननिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान-बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा-मा./संस्था/एफ-1/12102/शा0शि0 III/सी.भ./बो-1/2017-18/ दिनांक 29.11.19 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप संलग्न सूची में विवरणांकित आशार्थियों को तृतीय वेतन श्रृंखला शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 के वेतन लेवल -10 में दो वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत मानदेय 23700/-रु प्रतिमाह अथवा विद्यमान वेतनमान पर परामर्श केम्प के माध्यम से विकल्प पत्र प्राप्त करते हुए नियुक्ति दी जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। सम्बंधित संस्थाप्रधान को निर्देशित किया जाता है कि वह इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेगे-

01. नवपदस्थापित शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक, आयु, जाति, आरक्षण सम्बन्धी एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मिलान कर उसकी एक प्रति अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखेंगे, कोई भिन्नता/सन्देह की स्थिति पाये जाने पर इस कार्यालय को तत्काल सूचित करते हुए अग्रिम आदेश प्राप्त होने के उपरान्त ही कार्यग्रहण करवायेगे।
02. सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मूल ही प्राप्त कर कार्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखें।
03. नियुक्ति पर कार्यग्रहण सम्बन्धी जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त सदाचरण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त एवं सदाचरण रिपोर्ट में कोई विपरित टिप्पणी नहीं होने पर ही इन्हे कार्यग्रहण करवाया जावे। पूर्व में राजकीय सेवा में सेवारत कर्मिको हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
04. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.7(1)डीओपी/ए-II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार सम्बंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके बाद उत्पन्न सन्तानों के संबंध में कुल सन्तानों की संख्या दो या दो से अधिक नहीं होने सम्बन्धी आशय का शपथ पत्र आवश्यक रूप से निर्धारित प्रारूप में 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्राप्त किया जावे।
05. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा विवाह यदि विवाह पंजीयन अनिवार्य करने सम्बन्धी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है तो तत्सम्बन्धी आशय का 50/-रु के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावे।
06. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिए जाने का स्व-घोषणा पत्र प्राप्त किया जावे।
07. अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी के द्वारा नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में जारी किया होना चाहिये एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया हो कि "अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है, अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिये।" यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो उनका आवेदन पत्र/सूचना अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवाये।
08. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनी) की अवधि में फिक्स रेमुनेरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते देय नहीं होंगे।
09. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनी) की अवधि में राज्य, सामान्य प्रावधानी निधि आदि की कटौती नहीं होगी परन्तु वित्त विभाग के आदेश क्रमांक-एफ-12(9)एफ.डी.(रुल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार नवीन पेंशन अंशदान की कटौती नियमानुसार होगी।
10. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनी) की अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक-एफ-12(9)एफ.डी.(रुल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।
11. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जावेगा।

12. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र लेवे कि उनके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली, अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतन्त्र होगा।
13. जो अभ्यर्थी बी.पी.ई. (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम) की प्रशिक्षक योग्यता धारित करते हैं, उनकी एन.सी.टी.ई. से मान्यता नहीं होने के कारण नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाते हुए इस कार्यालय को तत्काल सूचित करें।
14. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 7(3)कार्मिक/क-2/06/पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबंधता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।
15. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न खेलकूद प्रमाण पत्र सम्बंधित संस्थाप्रधान से हस्ताक्षरित नहीं है, तो उनके मूल खेलकूद प्रमाण पत्र पर सम्बंधित संस्थाप्रधान के हस्ताक्षरित/प्रमाणीकरण की पुष्टि करने एवं उसकी सत्यापित प्रति अभिलेख में रखने के उपरान्त ही इन्हें कार्यग्रहण करवाया जावे।
16. उक्त आदेश शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड-III सीधी भर्ती परीक्षा 2018 में दी जाने वाली नियुक्तिया माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर में विचाराधीन रिट संख्या 13257/2018, 15078/2019, 17309/2019 तथा अन्य समान याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णयों के अध्याधीन होगी।
17. यह नियुक्ति आदेश विज्ञप्ति शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड-III भर्ती परीक्षा 2018 के प्रकरण में माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओं के निर्णयों के अध्याधीन रहेगे।
18. नवपदस्थापित शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशकों के कार्यग्रहण की सूचना संबंधित संस्थाप्रधान शाला दर्पण पर कार्यग्रहण करवाकर इस कार्यालय को आवश्यक रूप से देवे।

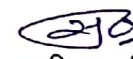
नवपदस्थापित शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशकों को उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 19.02.2020 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों/सूचनाएं सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी।


 जिला शिक्षा अधिकारी
 मुख्यालय माध्यमिक नागौर

क्रमांक-जिशिअ/मुमा/ना/संस्था-1/नियुक्ति/सी.भ./शा0शि0-2018/2019/640
 प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

दिनांक : 04.02.2020

01. श्रीमान् शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान-जयपुर।
02. श्रीमान् शासन उप सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान-जयपुर
03. श्रीमान् निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान-बीकानेर।
04. श्रीमान् सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड , जयपुर।
05. श्रीमान् संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, अजमेर मण्डल अजमेर।
06. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी , नागौर।
07. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारम्भिक नागौर।
08. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जिला नागौर।
09. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बंधित संस्थाप्रधान को विभागीय वेबसाइट के माध्यम से ।
11. सम्बंधित अभ्यर्थीको विभागीय वेबसाइट के माध्यम से ।
12. रक्षित पत्रावली।


 जिला शिक्षा अधिकारी
 मुख्यालय माध्यमिक नागौर

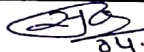
कार्यालय-जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक, नागौर

पद:- शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड-III

क्रमांक-जिशिअ/मुमा/ना/संस्था-1/नियुक्ति/सी.भ./शा0शि0-2018/2019/640

दिनांक 04.02.2020

S.NO.	ROLLNO	Merit No.	CAT	SEL_CAT	NAME	FNAME	DOB	GENDER	Address	POSTING PLACE (BLOCK)	candidate photo
1	500257	747	OBC	GEN	KHUMAN SINGH BITHU	MOHAN SINGH BITHU	15-Sep-83	Male	VPO- SEENTHAL BIKANER - CITY SEENTHAL PINCODE 334202 DIST. BIKANER	GOVT. GIRLS UPPER PRIMARY SCHOOL RATAU (478507)(08140607505), (LADNUN)	
2	518864	871	OBC	GEN	SARVAN KUMAR	RAM KISHAN BENIWAL	15-May-91	Male	WARD NO-09 VPO- BHOJASAR TEH- BHADRA HANUMANGARH HANUMANGARH BHADRA PINCODE 335501 DIST.HANUMANGARH	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL MANU (476994)(08140606301), (LADNUN)	
3	512927	888	OBC	GEN	ANAND KUMAR BITHU	MOHAN DAN	01-May-84	Male	WARD NO 11 ISHRAWATO KA BASS SINTHAL CITY SINTHAL PINCODE 334202 DIST. BIKANER	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL JANEWA WEST (477339)(08140505801), (JAYAL)	
4	508204	961	OBC	GEN	AVDHESH KUMAR BITHU	BHAGWAN DAN BITHU	27-Jul-95	Male	PLOT NO 53 BEHIND VASIHNO DHAM JAI VAISHNO COLONY JAIPUR ROAD BIKANER PINCODE 334001 DIST.BIKANER	GOVT. SECONDARY SCHOOL KANGSIYA (219622)(08140506901), (JAYAL)	
5	520450	1060	OBC	GEN	MANESH KUMAR BITHU	SURAJ DAN BITHU	13-Mar-89	Male	HAMIRO KA BASS SINTHAL BIKANER SINTHAL PINCODE 334202 DIST.BIKANER	GUPS MUNDIYAU(08140509401), (JAYAL)	
6	503939	1073	OBC	GEN	JASPREET SINGH	BINDER SINGH	04-May-90	Male	DHANI BAKHTAWAR SINGH WALI PO NATHWANA TEH SANGARIA CITY SANGARIA PINCODE 335063 DIST. HANUMANGARH	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL HUDIYA (220064)(08141105503), (MAKARANA)	


 04.2.2020
 जिला शिक्षा अधिकारी
 मुख्यालय माध्यमिक नागौर